राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./हैल्थ रूट्स/2015/ 433 दिनांकः 28-8-15

निविदा सूचना

निजी जन सहभागिता के अन्तर्गत धौलपुर जिले में 15 रूटों पर हैल्थ रूट स्कीम लागू करने के लिये पी0पी0पी0 मोड पर निजी संगठनों से रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती है निविदा का विस्तृत विवरण मय शर्ते विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in, पोर्टल/RTP की वेब साईट www.spp.rajasthan.gov.in तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गई निविदा के साथ फॉर्म शुल्क मय धरोहर राशि बतौर नगद/बैंकर चैक/डी.डी. निदेशक(जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के नाम जमा कराना अनिवार्य होगा।

विवरण	दिनांक
निविदा फॉर्म प्राप्त करने की दिनांक	01.09.2015 से 30.09.2015 तक
प्री–बीड कॉन्फ्रेन्स	10.09.2015 प्रातः 10.00 बजे
निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक	30.09.2015 सांय 05:00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक	01.10.2015 प्रातः 11:00 बजे

प्रकाशन RFP

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रभारी सर्वर रूम

"हैल्थ रूट स्कीम" को जन सहभागिता द्वारा संचालन करने हेतु

"रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल(RFP)"

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

जयपुर

"रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल(RFP)"

निजीसहभागिता से राजस्थान में 'हैल्थ रूट स्कीम' लागू करने के लिये निजी संगठनों से रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल(RFP) आमंत्रित किये जाते हैं। निविदाऐं वेबससाईट www.rajswasthy.nic.in/ DIPRSPPP से डाउनलॉड की जा सकती हैं या रू. 500/– चैक/नगद/डीडी द्वारा कमरा नम्बर .... से प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा में संसाधनों के लिये तकनीकि बिड एवं प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की लागत के लिये वित्तीय बिड हैं। दोनों निविदाऐं अलग–अलग सीलबंद लिफाफे पर पूर्ण विवरण लिखकर जमा कराया जावें।

जमा कराये आवेदन पत्रों का मूल्यांकन निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा।

उक्त के संबंध में कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:–

कार्यक्रम का नाम	दिनांक एंव समय
आर.एफ.पी. का प्रकाशन	01.09.2015
प्री–बीड कान्फ्रेन्स	10.09.2015
निविदा को जमा कराने की अन्तिम तिथि	30.09.2015
तकनिकी निविदा को खोलने की दिनांक	01.10.2015

निविदा को भरने के उपरान्त निम्न पते पर भेजना है, जिसकी अन्तिम तिथि 30.09.2015 है

निदेशक(जन स्वा.)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

1. कार्यक्रम की पृष्ठभूमि
2. निविदा की शर्तें
3. तकनिकी निविदा पत्र (प्रपत्र अ)
4. वित्तीय निविदा पत्र (प्रपत्र ब)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process
Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **कार्यक्रम की पृष्ठभूमिः–** ***'हैल्थ रूट स्कीम'*** के द्वारा जिस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा या तो उपलब्ध नहीं या पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं उस क्षेत्र में आमजन को गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ***'हैल्थ रूट स्कीम'*** लागू की गई हैं जिसमें एक निश्चित रूट पर निश्चित समय एवं दिनांक को वाहन जावेगा तथा रोगियों को लाकर संबंधित सा0स्वा0केन्द्र पर उपचार कराकर उनके मूल स्थान पर वाहन द्वारा छोड़ा जावेगा। ***'हैल्थ रूट स्कीम'*** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में धौलपुर जिले को लिया गया। धौलपुर जिले के जिस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा या तो उपलब्ध नहीं या पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, के आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **"हैल्थ रूट स्कीम"** के अन्तर्गत 7 सा0स्वा0केन्द्रों के लिये 22 हैल्थ रूट बनाये गये हैं। जिनमें से 15 हैल्थ रूटों पर वाहनों का संचालन निजी सहभागी द्वारा किया जावेगा। उक्त **"हैल्थ रूट स्कीम"** के अन्तर्गत संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र समाविष्ठ हैं तथा उक्त चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा मरीज को रैफर कार्ड दिया जावेगा। वाहन संचालक द्वारा मरीज की रैफर पर्ची को देखने के उपरान्त उसे संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ईलाज हेतु लायेगा यदि कोई मरीज को लाने में छूट जाता हैं तो वाहन संचालक उस मरीज को दुबारा लेकर आयेगा। मरीजों का उपचार करने के उपरान्त मरीज को पुनः उसी स्थान पर छोड़ेगा।

धौलपुर जिले में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उक्त सा.स्वा.केन्दों के अन्तर्गत हैल्थ रूट का विवरण निम्नानुसारः–

क्र.सं.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम**	**हैल्थ रूटों की संख्या**	**निजी सहभागी को दिये जाने वाले हैल्थ रूटों की संख्या**
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमथुरा	4	3
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसेरी	3	2
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनियाँ	3	2
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेड़ा	4	3
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसई नवाब	2	1
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैपऊ	3	2
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंचनपुर	3	2
	कुल हैल्थ रूट	22	15

नोटः– कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र नहीं छूटे इस लिये अन्तिम हैल्थ रूट जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा तय किया जायेगा।

वाहन सं0 1

(Health Route 1)

Total PHC- 2 Total SC- 5 Total Village- 45 Total 31Km. One side

सरमथुरा **(CHC)** (ग्रा0 पं0):–

8 KM ↑
मुगलपुर,
पदमपुरा,
बाईपुरा,
मोण्यिापुरा,
गढ़ाखोह,
गेंदापुरा

गौलारी **(S C)** (ग्रा0 पं0):–

11 KM ↑
जरवा,
गोलीपुरा,
गोपालपुरा
मथारा (S C)
खिदरपुर,
इन्दौर

मदनपुर **(S C)** (ग्रा0 पं0):–

7 KM ↑
गुलावली,
गोपालपुरा,
सोमपुर,
गुनराइच,
मौहारी

बरोली **(PHC)** (ग्रा0 पं0):–

3KM ↑
मोतीपुरा,
सुनकई,
कुमरपुरा,
कॉसपुरा,
खित्तर,
हुकासपुरा
बिझोली (S C) (ग्रा0 पं0)
सुरारी कला,
सोनी,
बटीन्टा,
गुढ़ा,
भिण्डीपुरा,
मानपुरा,
सुरारी खुर्द

रहरई (S C) (ग्रा0 पं0):–

2 KM ↑

कांकरेट,
तरवा,
कच्छपुरा,
धौध,
बिरजा

ऑगई (PHC) (ग्रा0 पं0):–

जिन्दापुरा,
चिलाखुर्द,
सलेमपुर,
पाती,
नूरपूर,
मिन्ना,
खोखला,
भमनपुरा,
पिपरैट

वाहन नं. 2

(Health Route 2)

Total-SC-1 Total-Village-8 Total 11Km. One side

सरमथुरा (CHC)

↑ **3 KM**

मोठियापुरा

↑ **6 KM**

लीलौठी (ग्रा0पं0):–

↑ **2 KM**

तितऔ,
मर्णपरौंद,
झाला,
कुरगवों,
दिगौडी,
कल्लापुरा,
भरकुँजरा,
भिरामद

कुरगावाँ (SC)

वाहन सं. 3

(Health Route 3)

Total Village-3

सरमथुराः–

↑ ममपुरा

दुर्गसी

शंकरपुरा

झिंरी (PHC) (ग्रा0पं0)

नोटः– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी सरमथुरा CHC से लगभग 25 कि0मी0 की दूरी पर है, तथा चम्बल के किनारे बसा हुआ है, वहां पर कोई भी उप केन्द्र स्वीकृत नहीं है, एवं आवागमन के साधन भी पर्याप्त नहीं है।

<u>सीएचसी सरमथुरा</u>

वाहन सं. 4

Health Route:- 4

सरमथुरा(सीएचसी)

↓

गुरजा

↓

सोने का गुरजा

↓

बहराना

↓

राजपुरा

↓

सोनी

सीएचसी बसेरी

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

बसेड़ी(सीएचसी+एफआरयू)

↓ 10 km

नोनरा + सलेमपुर

↓ 12km

ममोधन

↓ 04 km

कनकुटा

↓ 03 km

मऊ गुलावली

↓ 04km

बेरोली CPHC

(14)

सीएचसी बसेरी

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

बसेडी(सीएचसी+एफआरयू)

↓ 05 km

तर्सीपुरा+पिपरौन

↓ 02km

हरजूपुरा

↓ 03 km

धौर्य

↓ 05 km

ताजपुर

↓ 08km

नादनपुर

(16)

सीएचसी बसेरी

वाहन सं. 3

Health Route:- 3

बसेडी

↓ 03 km

खिडौरा

↓ 03km

मई

↓ 01 km

भारली

↓ 04 km

बगथर

↓ 06km

जारगा

↓ 04km

सिहौली

<u>सीएचसी मनियाँ</u>

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

मनियाँ

↓ 06 km

बोथपुरा

↓ 05km

दहेरी

↓ 02 km

मौजा का नगला

↓ 06 km

बड़ागांव

↓ 05km

बरैठा

17

सीएचसी मनियाँ

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

मनियाँ

↓ 04 km

टांडा

↓ 06 km

सखवारा

↓ 05 km

निधेरा कलां

↓ 01 km

निधेरा खुर्द

↓ 04 km

मुसलपुर

↓ 03 km

वदरिका(पीएचसी)

सीएचसी मनियाँ

वाहन सं. 3

Health Route:- 3

मनियाँ

↓ 01 km

दुबटी

↓ 01 km

डण्डौली

↓ 03 km

भीलपुर

↓ 03 km

विपरपुर

↓ 04 km

ठेकुली

↓ 01 km

मानपुर

↓ 01 km

विरौधा

↓ 03 km

फिरोजपुर

↓ 10 km

ओदी

Dr\HA all wrok\Dr RN Meena Ji\Hindi letter Dr R N Meena.doc
E-Mail ID: <addtiha@gmail.com> Phone no. 0141-2228728

(2

सीएचसी राजाखेड़ा

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

राजाखेड़ा

↓ **03 km**

रणछोरपुरा

↓ **04 km**

देवखेड़ा

↓ **06 km**

बसईधिया राम

↓ **06 km**

गढ़ीजाफर

↓ **03 km**

बरसली

↓ **03 km**

समोना

20

सीएचसी राजाखेड़ा

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

राजाखेड़ा

↓ 15 km

मछरिया

↓ 03 km

खुड़िला

↓ 03 km

नादौली

↓ 02 km

गन्हेदी

↓ 13 km

नागर

↓ 05 km

जारह

↓ 05 km

हथवारी(पीएचसी)

सीएचसी राजाखेड़ा

वाहन सं. 3

Health Route:- 3

राजाखेड़ा

↓ 20 km

मरैना

↓ 03 km

रवरका खेरली

↓ 04 km

सहजपुर

↓ 05 km

मढाभाऊ

↓ 06 km

खेरली

↓ 05 km

जसूपुरा(पीएचसी)

सीएचसी राजाखेड़ा

वाहन सं. 4

Health Route:- 4

राजाखेड़ा

↓ 25 km

बरेह

↓ 02 km

सिघावली

↓ 05 km

जाटौली

↓ 01 km

लुहारी

↓ 01 km

तगावली

↓ 02 km

मैसेना

↓ 05 km

कासिमपुर

↓ 01 km

सुन्दरपुर

↓ 14 km

गोपालपुरा

<u>सीएचसी बसई नवाब</u>

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

बसई नवाब(सीएचसी)

↓ 03 km

इन्दौली

↓ 03 km

बधियाना

24

<u>सीएचसी बसई नवाब</u>

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

बसई नवाब

↓ 06 km

मालौनी पावर

↓ 03 km

जारौली

↓ 03 km

पिपेहरा

25

सीएचसी सैपऊ

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

सैपऊ(सीएचसी)

↓ **03 km**

माकरा

↓ **01 km**

कुकरा

↓ **05 km**

गढ़ी लज्जा

↓ **05 km**

रजौरा खुर्द

↓ **04 km**

कैंथरी

↓ **03 km**

डूंगरवाला

21

सीएचसी सैपऊ

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

सैपऊ(सीएचसी)

↓ 05 km

कांकोली

↓ 01 km

मढ़ा

↓ 01 km

सरेंकी

↓ 05 km

नुनेहरा(पीएचसी)

27

सीएचसी कंचनपुर

वाहन सं. 1

Health Route:- 1

कंचनपुर(सीएचसी)

↓ **06 km**

टोटरी

↓ **05 km**

जमालपुर

↓ **04 km**

रूपसपुर

↓ **05 km**

धनौरा

<u>सीएचसी कंचनपुर</u>

वाहन सं. 2

Health Route:- 2

कंचनपुर(सीएचसी)

↓ 03 km

सोहा

↓

महुआ खेड़ा

↓ 01 km

गढ़ी सुक्खा

↓ 05 km

रहल

30

सीएचसी कंचनपुर

वाहन सं. 3

Health Route:- 3

कंचनपुर(सीएचसी)

↓ **08 km**

जपावली

↓ **05 km**

नगला दुल्हे खाँ

↓ **03 km**

अब्दुलपुर

↓ **04 km**

महरौली

31

2. निविदा की शर्तें:–

I. सामान्य शर्तें:–

1. निविदा की प्रक्रिया राजस्थान ट्रान्सपेरेसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट एण्ड रूल्स के अनुरूप होगी ।
2. पूर्व निविदा मीटिंग (Pre Bid meeting) दिनांक 10.09.2015 को निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर के मीटिंग हॉल में आयोजित की जायेगी, जिसमें हैल्थ रूट से संबंधित में कोई भी प्रश्न/आपत्ति का निवारण किया जायेगी। पूर्व निविदा की मीटिंग के बाद यदि आवश्यक होगा तो निविदा शर्तों में संशोधन रूप में आवश्यक सुधार किया जायेगा। जिसकी सूचना शुद्धि पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर, विभागिय पोर्टल पर प्रदिर्शित कर दी जायेगी।
3. वाहन के समस्त प्रकार के खर्चे सम्लित होगें।
4. हैल्थ रूट स्कीम में वाहन का भुगतान प्रत्येक हैल्थ रूट के अनुसार किया जायेगा।
5. वित्तीय निविदा अलग से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करानी होगी।
6. प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन समस्त हैल्थ रूट को एक यूनिट माना जायेगा, यदि एक से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवेदन करता हैं तो उसको प्रत्येक के लिये अलग से आवेदन करना होगा।
7. निविदा समाप्ति पर कोई भी सेवाप्रदाता इस प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर सकेगा कि उन्हे पुनः यह कार्य दिया जावे या स्थाई किया जाये।
8. सर्विस प्रोवाईडर को संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियम/शर्तों की पालना के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।
9. सर्विस प्रोवाईडर को भुगतान प्रत्येक हैल्थ रूट के अनुसार दिया जायेगा।
10. किस रूट पर कौनसा वाहन चलेगा इसका निर्धारण सर्विस प्रोवाईडर द्वारा किया जायेगा।
11. प्रत्येक दिन में वाहन द्वारा एक बार मरीजों को लाना एवं उपचार के पश्चात उसी स्थान पर छोड़ा जायेगा।
12. सफल सर्विस प्रोविईडर द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों व वाहन चालक के लाईसेन्स, इन्श्यूरेंस आदि की प्रमाणित छायाप्रति मांगी जायेगी।
13. सर्विस प्रोवाईडर द्वारा वाहन समय पर उपलब्ध न करवाने/सेवा में लापरवाही बरतने पर प्रत्येक दिन को दी जाने वाली राशि का 10 गुना का दण्डित राशि के रूप में कम करते हुये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
14. सर्विस प्रोविईडर द्वारा वाहन पर जी.पी.एस. लगाना होगा जी.पी.एस. से प्रमाणित के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
15. रोगी के वास्तविक चयन हेतु उस क्षेत्र की ए.एन.एम./मैल नर्स द्वारा रैफर किया जायेगा।
16. निविदा में सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरों की वैधता पूर्ण वर्ष की अवधि की होगी।
17. वाहनों के संचालन के संबंध में अनावश्यक/गलत प्रयोग नहीं होवें, की समस्त शक्तियां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन होगी, यदि किसी वाहन के संचालन के संबंध में अनावश्यक/गलत प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक दिन को दी जाने वाली राशि का 10 गुना का दण्डित राशि के रूप में दण्ड देने का प्रावधान हैं।
18. वाहन का संचालन चिकित्सालय के प्रातः ओपीडी समय के आधा घण्टा पूर्व में मरीजो को लाना होगा तथा मरीजों की जांच एवं उपचार कराकर उसी स्थान पर वापस छोड़ेगा।
19. वाहन पूर्व निर्धारित स्थान से निश्चित समय मरीजों को लेकर रवाना होगा एवं उपचार उपरान्त उसी रूट से मरीजों को वापस छोड़ेगा।

20. वाहन पहले से निर्धारित हैल्थ रूट जो कि निर्धारित स्टोप होगा, से मरीजों को लेकर रवाना होगा।
21. प्रत्येक स्टोप पर रूट चार्ट, स्टोप, स्टोप पर पहुंचने का समय एवं मरीजों को लेने का समय अंकित होगा। साथ ही इसी तरह का रूट चार्ज वाहन पर भी लगाना होगा।
22. मरीज के वाहन में बैठने के समय ही वाहन चालक मरीजों को टोकन देगा। तथा मरीज से संबंधित रिकार्ड का इन्द्राज उसके पास उपलब्ध रिकार्ड बुक में करना होगा।
23. मरीज प्राप्त टोकन को लेकर निर्धारित चिकित्सा संस्थान पर लेकर जावेगा एवं उपचार उपरान्त वापस वाहन में आने पर पूर्व में प्राप्त टोकन के साथ–साथ रजिस्ट्रेशन एवं उपचार पर्ची को साथ लावेगा एवं वाहन चालक को देगा।
24. मरीजों को वापस छोड़ने के समय भी वाहन चालक रिकार्ड बुक में इन्द्राज करेगा।
25. उक्त रिकार्ड का सत्यापन चिकित्सा संस्थान पर किया जावेगा।
26. सर्विस प्रोवाईडर को भुगतान प्रत्येक हैल्थ रूट के अनुसार दिया जावेगा
27. वाहन चालक के पास मोवाईल फोन होना आवश्यक है जिससे कि गाड़ी एवं मरीजो की जानकारी के लिए फोन किया जा सके।
28. वाहन के अनुपस्थित रहने पर, देरी होने एवं शर्तो का उल्लघंन होने पर सर्विस प्रोवाईडर को प्रत्येक दिन को दी जाने वाली राशि का 10 गुणा दण्डित राशि के रूप में कम करते हुये प्रति माह भुगतान किया जावेगा।
29. दरों में सभी आनुषांगिक प्रभारो को शामिल करना होगा।
30. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होकर स्वंय सर्विस प्रोवाईडर फर्म की होगी।
31. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड़ टेक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है।
32. वाहन प्रतिदिन साफ–सुथरी अवस्था में उपलबध होनी चाहिए तथा सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा।
33. विभाग द्वारा अनुबन्धित वाहन की समय–समय पर जांच की जायेगी एवं सही नहीं जाये जाने पर या ड्यटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वाहन को तत्काल वापस भेज दिया जावेगा तथा भुगतान में से सेवा दोष के कारण शास्ती की कटौती की जावेगी।
34. कार्यालय के उपयोग किये जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
35. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय ठीक होनी चाहिए। अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो तुरन्त अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा व्यवस्था करने पर उसका हर्जाना (risk & cost) स्वरूप राशि की कटौती एजेन्सी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
36. अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी मय वर्दी के होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राईविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। वाहन चालक आई डी कार्ड भी पहनेगा, जिसमें उसकी फोटो, नाम, पता, मोबाईल नम्बर स्पष्ट अंकित होने चाहिए।
37. ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नही होगा। वाहन चालक का रोगियों व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार अनुशासन एवं मर्यादा पूर्ण होगा।
38. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विभाग तुरंत प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा जिस संबंध में विभाग द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नही होगा तथा इसकी समस्त जिम्मदारी निविदादाताकी होगी, साथ ही सुरक्षा राशि भी जप्त (Forfaiture) की जा सकती है।

39. टोल टैक्स/पार्किंग का यदि भुगतान किया जाता है तो निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाकर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर पुनर्भरण किया जावेगा।

40. जीपीएस लगे हुए वाहना होने चाहिये।

41. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

42. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर के न्यायालय में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।

43. अनुबंधकर्ता फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वाहन चालकों का सम्पूर्ण विवरण मय ड्राईविंग लाईसेंस प्रति एवं नवीनतम फोटाग्राफ 2 प्रतियों में इस कार्यालय में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेंगे। वाहन चालक बदलने पर भी यह सूचना उपलब्ध करायी जावेगी।

44. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें निविदाकार द्वारा स्वयं के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

45. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

46. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार सर्विस टैक्स/आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा देय हो, की कटौति के पश्चात् ही किया जावेगा।

47. प्राप्त निविदाओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी शर्त में शिथिलन की आवश्यकता महसूस की जावेगी तो ऐसा शिथिलन समस्त निविदाकारों पर समान रूप से लागू होगा।

48. निविदाकार को निविदा सीलबंद लिफाफे में "वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा" लिखकर प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर आदि आवश्यक लिखें।

49. निविदा के साथ धरोहर राशि का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट सलंग्न करना आवश्यक है। उक्त राशि का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होन पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

50. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होगी जो उपस्थित निविदादाता के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त, सशर्त एवं अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा दरें स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में केवल बॉलपेन से ही भरी जाये। निविदा में कांट छाट/ओवरराईटिगं को सुचारू रूप से सत्यापित किया जावेगा।

51. निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार संतोषप्रद कार्य नही करने पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

52. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा इस विभाग को लिखित में दी जावेगी, जो मान्य होने पर ही लागू होगा, किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबंध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबंधकर्ता को विमुक्त नहीं किया जावेगा।

53. वाहन का मॉडल 1 जनवरी 2009 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

54. वाहन सुचारू एवं चालू हालत में उपलब्ध कराया जावेगा, वाहन की सर्विसिंग इत्यादि समय पर निविदादाता द्वारा कराई जावेगी।

55. निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करे।

56. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो के विपरीत अंकित की गई अथवा निविदा में सशर्त दरों के रूप में अंकित किसी भी शर्त के मान्यता नहीं दी जावेगी।

57. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण रद्द करने का पूर्ण अधिकारी कमेटी को होगा।

58. अनुबन्धकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट, फर्म किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौप सकेगी अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगी।

59. अनुबन्ध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से 1 वर्ष की होगी, जिसमें परस्पर सहमति पर अनुबंध अवधि में अधिकतम 3 माह की वृद्धि ओर की जा सकती है।

60. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को धरोहर राशि (Earnest Money) के रूप में नियमानुसार राशि 35000/- के पक्ष में जमा करानी होग। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जा सकेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि लौटा दी जावेगी।

61. सफल निविदाकार/निविदाकरों को निर्धारित प्रारूप में 500/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादत करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विती के लिय अनुबन्ध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा करवाने होंगे। प्रतिभूति की रकम पर ब्याज नहीं दिया जवेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने की व्ययों का सदाय निविदाकार करेगा। विभाग द्वारा विविदाकार को स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक सत्यापित प्रति निःशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनाम निष्पादित करने मे असफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्वतया या अंशतः जमा जप्त कर ली जावेगी और इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

62. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण/जब्त (Forfeiture) किया जा सकता है:-

- जब निविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
- निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदायगी में विफल रहता है।
- प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

65. सफल निविदाकर को 7 दिन में एग्रिमेन्ट पर हस्ताक्षर करने होगें। एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर के उपरान्त 15 दिन के अन्दर वाहन चलाने होगें, उसके पश्चात 15 दिन तक 1000/- रूपये प्रतिदिन प्रतिवाहन दण्ड राशि जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर उपरान्त 1 माह तक आवन्टित हैल्थ रूट पर वाहन नहीं चलाता है तो उसकी निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी।

66. राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा उपक्रम द्वारा पिछले 3 वर्ष में डिबार(Debar) किया गया व्यक्ति/संस्था निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के अयोग्य होगें।

67. प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्ति से 120 दिन पूर्व तक वापस नही लौटायी जावेगी।

68. मूल्यांकनः–

तकनिकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग सील बन्द लिफाफे पर पूर्ण विवरण सहित तथा दस्तावेज सहित जमा करयेगें। तकनिकी निविदा का मूल्यांकन उक्त प्रयोजन हेतु गठित कमेटी के द्वारा कर उच्च स्तरीय कमेटी को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

तकनिकी निविदा के सफल निविदाकर्ता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

II <u>तकनीकी निविदा</u>

i. निविदा शुल्क रूपये 500/–

ii. निविदा फॉर्म बिक्री की प्रारम्भ तिथि 01.09.2015 को प्रातः 10.00 बजे से(कार्यालय समय में) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर कमरा नं.........से फार्म प्राप्त कर सकते है।

iii. निविदा फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.09.2015 को सांय 5:00 बजे तक।

iv. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 30.09.2015 को सायंः 5.00 बजे तक। निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में फार्म जमा कराना है।

v. निविदा खोलने की तिथि 01.10.2015 को प्रातः 11.00 बजे। निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में निविदा खोली जावेगी।

vi. दर्शायी गयी दरें विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान तक वैद्य रहेंगी। इसके आगे भी निविदाकार की सहमति से समयावृद्धि की जा सकती हैं।

vii. अमानत राशि रू. 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार रू. मात्र) का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/चालान संख्या/नगद रसीद तकनिकी बिड के लिफाफे में संलग्न करनी होगी।

viii. आयकर पैन नम्बर, बिक्री कर, पंजीयन संख्या/वेट तथा बिक्रीकर/वेट शोधन प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारियों से जारी किये गये हैं, संलग्न करने होगें।

ix. निविदाकार पंजीकृत ट्रांसपोर्टर/पंजीकृत सोसायटी हैं जिसके पास स्वयं की गाड़ियां है अथवा गाड़ियां फर्म में अनुबंधित हैं, बाबत् पत्रादि संलग्न करें।

x. निविदाकार के कार्यालय का पूरा पता, तथा उस व्यक्ति का नाम व दूरभाष नम्बर जिससे इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर सम्पर्क किया जाना हैं उसका उल्लेख तकनिकी बिड प्रपत्र में करना होगा।

xi. 2 वर्ष की आयकर विवरणी पत्र संलग्न करें।

उक्त निविदा सूचना तथा अनुबन्ध की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में अंकित हैं, के स्वीकार किये जाने के प्रतीकस्वरूप निविदादाता द्वारा प्रत्येंक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जायेगें तथा इनका पालन करने के लिये निविदादाता बाध्य होगा।

ठेके की प्रस्तावित दरें प्रपत्र 'ब' (वित्तीय बिड) में अलग लिफाफे में ही दी जानी है।

III वित्तीय निविदाः–

तकनिकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, वित्तीय निविदा में जिस निविदाकर्ता की प्रत्येक हैल्थ रूट में दरें कम होने वाले का चयन किया जायेगा। यदि सबसे कम दर वाले निविदाकर्ता एक से अधिक है तो तकनिकी कमेटी के मूल्याकंन के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र "अ"

खुली निविदा प्रपत्र (तकनीकि बिड)

1. हैल्थ रूट स्कीम, राजस्थान में वाहनों हेतु खुली निविदा।
2. निविदादाता का नाम .... व डाक का पूरा पता ....
....
3. सम्बोधित: : निदेशक(जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ: निविदा सूचना क्रमांक: .... दिनांक: ....
5. निविदा शुल्क रूपये 500/– रसीद संख्या .... दिनांक ....
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम जिसके अन्तर्गत आने वाले हैल्थ रूट (रूटों) के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है...
7. अमानत राशि रू. 35,000/– (रूपये पैतीस हजार रू. मात्र) बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/चालान संख्या/रसीद .... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गयी हैं (संलग्न हैं)।
8. आयकर पैन नम्बर, बिक्री कर, पंजीयन संख्या/वेट तथा बिक्रीकर/वेट शोधन प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारियों से जारी किये गये हैं, संलग्न हैं।
9. निविदाकार पंजीकृत ट्रांसपोर्टर/पंजीकृत सोसायटी हैं जिसके पास स्वयं की गाड़ियां है अथवा गाड़ियां फर्म में अनुबंधित हैं, बाबत् पत्रादि संलग्न करें।
10. निविदाकार के कार्यालय का पूरा पता :..
तथा उस व्यक्ति का नाम व :..
दूरभाष नम्बर जिससे इस प्रयोजनार्थ समय : ....
पर सम्पर्क किया जाना हैं:
11. 2 वर्ष की आयकर विवरणी पत्र संलग्न करें।
उक्त निविदा सूचना तथा अनुबन्ध की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में अंकित हैं, के स्वीकार किये जाने के प्रतीकस्वरूप मैंने/हमने प्रत्येंक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा इनका पालन करने के लिये सहमत हैं।
12. ठेके की प्रस्तावित दरें प्रपत्र 'ब' (वित्तीय बिड) में अलग लिफाफे में ही दी जानी है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
मोबाईल नं. पता
....
....
....

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र "ब"

निविदा प्रपत्र (वित्तीय बिड)

1. हैल्थ रूट स्कीम, राजस्थान में वाहनों हेतु निविदा।
2. निविदादाता का नाम .... व डाक का पूरा पता ....
3. सम्बोधित: : निदेशक(जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ: निविदा सूचना क्रमांक: .... दिनांक: ....
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम जिसके अन्तर्गत आने वाले हैल्थ रूट (रूटों) के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है...
6. वाहन का विवरण:–

21 सिटेड वाहन का विवरण (1 जनवरी, 2009 के बाद का मॉडल)	प्रत्येक हैल्थ रूट की राशि रूपये मय सर्विस टैक्स इत्यादी	
	अंको में	शब्दों में

1. वाहन के समस्त प्रकार के खर्चे सम्लित होगें।
2. वित्तीय निविदा अलग से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करानी होगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

मोबाईल नं. व पता

....

....

....

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Docl

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____

The designation and address of the Second Appellate Authority is PRINCIPLE SECRETARY, ME...

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc I

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.